

वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2014-2015)



झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

**भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार
झारखण्ड लोक सेवा आयोग का
वार्षिक प्रतिवेदन
(01-04-2014 से 31-03-2015
तक की अवधि के लिए) झारखण्ड
की माननीया राज्यपाल को
सादर प्रस्तुत ।**



प्रतिवेदन प्रस्तावना एवं कृतज्ञता

संस्कृति के पहिये धूल उड़ाते चले गए, ज्ञारखण्ड की संस्कृति और सभ्यता तथा विकास का रथ कुछ और आगे बढ़ा। पृथक राज्य बनने के पश्चात् इसने अपनी संरचनात्मक संस्थाएं भी विकसित की। विकास की इसी कड़ी में पृथक राज्य ज्ञारखण्ड के लिए ज्ञारखण्ड लोक सेवा आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-118 दिनांक-16.01.2001 द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-323 (2) के आलोक में ज्ञारखण्ड लोक सेवा आयोग का वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत करते हुए हमें हष्ट हो रहा है। आलोच्य अवधि में आयोग के विभिन्न कृत्यों का सारांश इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अतीत की अपनी छवि की केंचुली को पीछे छोड़ आयोग कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर रहा है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में सुदूर जिलों में परीक्षा केन्द्र स्थापित कर इसने समाज के हर तबके के अभ्यर्थियों को राहत देने का प्रयास किया है। पंचम् संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में मुख्य परीक्षा के लिए राँची जिलान्तर्गत सात परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे।

आयोग यह अवगत कराना चाहता है कि मानवीय, तकनीकी एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद आयोग ने अपने दायित्वों का निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता से निर्वहन करते हुए निष्ठा के सभी मानकों को कायम रखने का यथासंभव प्रयास किया है।

आयोग ज्ञारखण्ड के सभी जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यों को सम्पन्न करना संभव नहीं हो पाता।

आयोग अपने माननीय सदस्यों/अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने कठोर परिश्रम, निष्ठा तथा दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

अध्यक्ष
ज्ञारखण्ड लोक सेवा आयोग
राँची।

विषय सूची

क्र० सं०	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय—01	आयोग का संक्षिप्त इतिहास एवं कार्यकलाप	1
2.	अध्याय—02	आयोग सचिवालय की संरचना	2
3.	अध्याय—03	आयोग का संगठन	3
4.	अध्याय—04	आयोग के कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया	4—5
5.	अध्याय—05	आयोग का कार्य	6—8
6.	अध्याय—06	लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया	9
7.	अध्याय—07	साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया	10
8.	अध्याय—08	प्रोन्नति संबंधी मामले	11
9.	अध्याय—09	विश्वविद्यालय संबंधी नियुक्तियाँ	12
10.	अध्याय—10	विभागीय जाँच / अनुशासनिक कार्यवाही / अपील प्रकरणों की विवरणी	13
11.	अध्याय—11	सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् निस्तारण	14—15
12.	अध्याय—12	वित्तीय विवरणियाँ	16
13.	अध्याय—13	आयोग संबंधित न्यायिक मामले	17
14.	अध्याय—14	सेवा शर्ते एवं भर्ती की नियमावली	18
15.	परिशिष्ट—I	माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के संक्षिप्त जीवन वृत्त	19—20
16.	परिशिष्ट—II	आयोग कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों की अद्यतन स्थिति	21
17.	परिशिष्ट—III	आयोग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति	22—24

अध्याय-01

आयोग का संक्षिप्त इतिहास एवं कार्यकलाप

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना सं.-118 दिनांक 16.01.2001 द्वारा किया गया।


सरकार द्वारा 25 जनवरी 2002 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉ. फटिक चन्द्र हेम्ब्रम ने 05 फरवरी 2002 को कार्यभार ग्रहण किया। आयोग के गठन से अद्यतन माननीय अध्यक्ष का कार्यकाल निम्नवत् रहा : -

क्र0सं0	माननीय अध्यक्ष का नाम	पदभार ग्रहण होने की तिथि	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि
1.	डॉ फटिक चन्द्र हेम्ब्रम	05.02.2002	14.01.2004
2.	डॉ दिलीप कुमार प्रसाद (कार्यकारी)	22.01.2004	22.09.2004
3.	डॉ दिलीप कुमार प्रसाद	23.09.2004	13.04.2010
4.	श्री आलोक कुमार सेनगुप्ता (कार्यकारी)	14.04.2010	06.01.2011
5.	श्री रमेशचन्द्र कैथल (कार्यकारी)	07.01.2011	24.01.2011
6.	डॉ मो परवेज हसन (कार्यकारी)	25.01.2011	30.06.2011
7.	श्री शिव बसंत	01.07.2011	06.07.2013
8.	श्री देवाशीष गुप्त	08.07.2013	24.02.2015
9.	डॉ धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	25.02.2015	वर्तमान

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 730 दिनांक 28.01.2015 के आलोक में दिनांक 25.02.2015 से अध्यक्ष के पद पर डॉ. धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

अध्याय-02

आयोग सचिवालय की संरचना



अध्याय-03

आयोग का संगठन

झारखण्ड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त दो माननीय सदस्य कार्यरत हैं तथा सदस्य के दो पद यहाँ रिक्त हैं। आयोग का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार है-

क्र0	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	डॉ० धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	अध्यक्ष	25.02.2015
2	डॉ० कुमार कृत्यानन्द भगत	सदस्य	30.05.2015
3	डा० सतीश्वर प्रसाद सिन्हा	सदस्य	01.06.2015

अध्याय-04

आयोग के कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया

झारखण्ड राज्य की स्थापना 15 नवम्बर 2000 ई. के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन महामहिम राज्यपाल द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के गठन की स्वीकृति दिनांक- 16-01-2001 को प्रदान की गयी। आयोग दिनांक 25.01.2002 को अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष एवं आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी एवं राँची में आयोग के मुख्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के कृत्य :-

320 (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग से-

- (क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,
- (ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में ताकि एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अन्तरण करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अन्तरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,
- (ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत ऐसे विषयों से अभ्यावेदन या याचिकाएँ हैं।
- (घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके सम्बन्ध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए।
- (ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किये जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जायेगा और इस प्रकार उसे निर्देशित करें, परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा, परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्य-कलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों का विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

- 320 (4) खण्ड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस नीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद-16 खण्ड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध किया जाना है या उस नीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद-335 के उपबन्धों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाय।
- 320 (5) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खण्ड (3) के परन्तुक के अधीन बनाये गये सभी विनियमन बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जायेंगे, और निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे उपान्तरणों के अधीन होंगे जो संसद के दोनों सदन या उस राज्य के विधान मण्डल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं।
- 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति-यथास्थिति, संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबन्ध कर सकेगा।

अध्याय-05

आयोग का कार्य

आयोग एक स्वतंत्र, स्वशासी एवं संवैधानिक संस्था है। फलस्वरूप, अपने कार्यों एवं दायित्वों के संचालन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सक्षम हैं। आयोग द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 118 दिनांक 16.01.2001 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमन 2000 प्रतिस्थापित है जिसे पुनः अधिसूचना संख्या 11/लो. से. आ. - 01-03/2013 का. - 789 दिनांक 27.01.2014 द्वारा संशोधित किया गया है।

इसी प्रकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 117 दिनांक 16.01.2001 द्वारा अधिसूचित, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त) भी यहां प्रतिस्थापित है जिसके प्रावधानों के अनुरूप आयोग कार्य करता है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6/लो. से. आ. - 103/2001 का. -6818 दिनांक 15.12.2003, अधिसूचना संख्या 6/लो.से.आ.-स्था. -15/2002 का. 3240 दिनांक 10.06.2003, अधिसूचना संख्या 6/लो. से. आ.-103/2001 का. -4664 दिनांक 15.07.2009, अधिसूचना संख्या 6/स्था. (आयोग) वे.पु.-04/2009 का. -9011 दिनांक 03.08.2011 एवं अधिसूचना संख्या 6/लो. से. आ. (प्रत्यर्पण)-11/2012 का.-5811 दिनांक 29.06.2013 द्वारा संशोधित किया गया है।

परीक्षा संचालन

आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन मुख्यतः दो स्तरों पर किया जाता है :-

- (1) रिक्तियों के अनुपात में उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक होने पर प्रारम्भिक परीक्षा एवं
- (2) प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हित उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा।

प्रारम्भिक परीक्षा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों/विद्यालयों में संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से आयोजित की जाती है एवं इस परीक्षा में अर्हित उम्मीदवारों के लिए सामान्यतया, राँची शहर अवस्थित विभिन्न महाविद्यालयों/विद्यालयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

प्रारम्भिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ओ.एम.आर. स्कैनिंग विधि से कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। Answer Key Website पर प्रदर्शित कर उम्मीदवारों या अन्य साधारण जन के सुझाव प्राप्त कर उस पर विशेषज्ञों का मन्तव्य लिया जाता है। लिखित परीक्षा (मुख्य) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा अनुमोदित परीक्षकों द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से पूर्व Model Answer मुख्य परीक्षक के पर्यवेक्षण में बनाकर परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है।

परीक्षाफल प्रकाशन

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों के कुल लब्धांक एवं विज्ञापन में प्रकाशित संबंधित कंडिकाओं के आधार पर परीक्षाफल, आयोग के परीक्षा नियंत्रक की देख-रेख में तैयार किया जाता है, जिसे आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित किया जाता है। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल तथा अनुशंसित उम्मीदवारों का Cut off Marks आयोग की website पर प्रकाशन की तिथि से 2 माह के लिए प्रदर्शित किया जाता है। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सम्पन्न होने के उपरान्त उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर आयोग में आकर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की भी सुविधा दी जाती है।

परीक्षाफल प्रकाशन के बाद अभ्यर्थियों को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर 2002 के Chapter-III: Basic Functions of the Commission के Rule-4 (xiii) (l) एवं (m) में परीक्षा के आधार पर मेधा सूची एवं परीक्षाफल तैयार करने तथा अनुशंसा किये जाने से संबंधित प्रावधान हैं।

परीक्षाफल प्रकाशन एवं अनुशंसा भेजे जाने के क्रम में आयोग की वेबसाईट पर भी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची एवं परीक्षार्थियों के अंकों को अपलोड करने की परिपाटी आयोग में रही है। उक्त क्रम में और भी पारदर्शिता तथा अभ्यर्थियों को सही सूचना मिल सके, इसके लिए निम्न व्यवस्था पर आयोग अपनी स्वीकृति प्रदान करता है :-

- (क) आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की आवेदन प्राप्ति के बाद स्कूटिनी के फलस्वरूप विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप आवेदन के साथ सूचना उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत करने के संबंध में आयोग का निर्णय प्राप्त किया जाएगा।
- (ख) आवेदन अस्वीकृत होने वाले उम्मीदवारों की सूची अस्वीकृति के कारण के साथ आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अन्दर अपील आवेदन देने का निर्देश दिया जाएगा। वेबसाईट पर उक्त सूचना प्रकाशन से संबंधित विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अपील अभ्यावेदनों पर आयोग के निर्णय के उपरान्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा आयोग की वेबसाईट पर निर्णय अपलोड की सूचना दी जायेगी।
- (ग) परीक्षा के उपरान्त संबंधित विभागों को आयोग के स्तर से अनुशंसित किये जाने वाले उम्मीदवारों की सूची कोटिवार, आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी। विभागों को भेजे जाने वाले अनुशंसा पत्र की स्कैन फोटो प्रति भी आयोग की वेबसाईट पर जारी की जाएगी।
- (घ) आयोग की वेबसाईट पर अनुशंसित उम्मीदवारों के अंतिम कट ऑफ मार्क्स भी कोटिवार अपलोड किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी उम्मीदवारों (अनुशंसित तथा असफल अभ्यर्थियों

सहित) का अंक भी अपलोड किया जाएगा जिसे केवल संबंधित उम्मीदवार प्राप्त अंकों का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकें।

- (ङ) परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा भेजे जाने के समय निम्न सूचनाओं के साथ प्रेस विज्ञाप्ति जारी की जाएगी :-
- (i) आयोग की वेबसाईट पर संबंधित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध है।
 - (ii) अनुशंसित उम्मीदवारों के कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
 - (iii) परीक्षा में सम्मिलित सफल एवं असफल सभी अभ्यर्थियों के अंक भी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। संबंधित उम्मीदवार उन्हें प्राप्त अंक का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते हैं।
 - (iv) उपरोक्त सूचनाएँ 60 दिनों तक आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स के संबंध में आयोग से पत्राचार अनावश्यक होगा।
 - (v) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर, 2002 के Chapter-III, Rule-4 (xiii) के आलोक में परीक्षा के उम्मीदवारों से अंकों के पुनर्जोड़ तथा अपनी उत्तर-पुस्तिका के अवलोकन से संबंधित आवेदन 60 दिनों के अन्दर तक ही स्वीकार्य होगी। इसके बाद किया गया अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

साक्षात्कार की पद्धति

साक्षात्कार में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाती है। प्रत्येक साक्षात्कार पर्षद में आयोग के एक सदस्य के अतिरिक्त कम से कम दो विशेषज्ञ होते हैं। उम्मीदवारों को अंक या उनके बारे में अनुशंसा सर्वसम्मति (कन्सेन्सस) के आधार पर दी जाती है।

आयोग के अन्य कार्य

1. राज्य सेवाओं की सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श
2. अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श
3. विभागीय प्रोन्नति समिति का आयोजन
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति।

अध्याय-06

लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया

➤ झारखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्ति परीक्षा-2013 (विज्ञापन संख्या-04/2013) :-

- (क) मुख्य परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या-1802
- (ख) मुख्य परीक्षा-19.07.2014 एवं 20.07.2014 को आयोजित।
- (ग) मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या-1548
- (घ) मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक-28.10.2014 को घोषित।
- (ड.) साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या-358
- (च) साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या-329
- (छ) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या-116

➤ अनुशंसा:-

(i)	अनारक्षित	-	58	आयोग कार्यालय के पत्रांक-403, दिनांक-13.02.2015 द्वारा अनुशंसा से संबंधित पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार को प्रेषित।
(ii)	अनुसूचित जाति	-	12	
(iii)	अनुसूचित जनजाति	-	30	
(iv)	पिछड़ा वर्ग- I	-	09	
(v)	पिछड़ा वर्ग- II	-	07	
	कुल	-	116	

➤ पंचम संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा :-

मुख्य परीक्षा दिनांक-25.05.2015 से दिनांक-15.06.2015 तक आयोजित करने के संबंध में दिनांक-13.03.2015 को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया गया।

अध्याय-07

साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया

विज्ञापन संख्या-**16/2011** के विरुद्ध जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/व्याख्याता के कुल 17 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित तथ्य निम्नवत् है :-

उक्त पद हेतु साक्षात्कार दिनांक-15.10.2014 से दिनांक-17.10.2014 तक आयोजित करने के संबंध में दिनांक-01.10.2014 को समाचार पत्रों के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया गया।

1. कुल 108 आवेदकों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किए गए।
2. साक्षात्कार दिनांक-15.10.2014, 16.10.2014 एवं 17.10.2014 को आयोजित किया गया।
3. साक्षात्कार में कुल 66 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।
4. अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या-17

रिक्तियों के विरुद्ध कुल प्राप्त आवेदन

अनारक्षित	एस.सी.	एस.टी.	बी.सी.-I	बी.सी.-II	कुल
206	13	41	27	18	305

- अंतिम रूप से कुल 17 पद हेतु आयोग के पत्रांक-569 दिनांक-22.10.2014 द्वारा निम्नवत् अनुशंसा की गई :-
- | | | |
|---------------------|----------|-----------|
| (क) अनारक्षित | - | 09 |
| (ख) अनुसूचित जनजाति | - | 04 |
| (ग) अनुसूचित जाति | - | 02 |
| (घ) पिछड़ा वर्ग-I | - | 01 |
| (ड.) पिछड़ा वर्ग-II | - | 01 |
| कुल | - | 17 |

अध्याय-08

प्रोन्नति संबंधी मामले

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रोन्नति के लिए अधियाचित पद का नाम	बैठक की तिथि	प्रोन्नति के अधियाचित पदों की संख्या	अनुशंसित प्रोन्नति की संख्या
1	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची	श्रम अधीक्षक	20.10.2014	21	21
2	पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग, झारखण्ड, राँची	जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं समकक्ष	05.02.2015	04	02
3	गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	पुलिस उपाधीक्षक	17.03.2015 एवं 18.03.2015	55	55
कुल			80	78	

अध्याय-09

विश्वविद्यालय संबंधी नियुक्तियाँ/ प्रोन्नतियाँ

माह अप्रैल 2014 से माह मार्च 2015 तक विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन।

क्र0सं0	पद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	प्रोन्नति में सहमति	प्रोन्नति में असहमति	
(क) 10 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नति।					
1	व्याख्याता से उपाचार्य	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।	01	00	
(ख) 16 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नति।					
1	उपाचार्य से विश्वविद्यालय प्राचार्य	—	Nil	Nil	
(ग) 25 वर्षीय कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नति।					
1	उपाचार्य से विश्वविद्यालय प्राचार्य	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।	01	00	
(घ) 8 वर्षीय मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नति।					
1	व्याख्याता से उपाचार्य	राँची विश्वविद्यालय, राँची।	01	01	
(ङ) 16 वर्षीय मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नति।					
1	उपाचार्य से विश्वविद्यालय प्राचार्य	—	Nil	Nil	
(च) कैरियर एडवान्समेन्ट प्रोन्नति योजनान्तर्गत प्रोन्नति।					
1	व्याख्याता से व्याख्याता (वरीय वेतनमान)	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।	01	00	
2	व्याख्याता (वरीय वेतनमान) से व्याख्याता (प्रवर कोटि)	—	00	00	
3	व्याख्याता (वरीय वेतनमान) से उपाचार्य	—	00	00	
4	व्याख्याता (प्रवर कोटि) से उपाचार्य	—	00	00	
5	उपाचार्य से विश्वविद्यालय प्राचार्य	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।	00	06	
		राँची विश्वविद्यालय, राँची।	00	01	
कुल			04 (चार)	08 (आठ)	
प्रोन्नति हेतु कुल सहमति			—	04 (चार)	
प्रोन्नति हेतु कुल असहमति			—	08 (आठ)	

अध्याय-10

विभागीय जाँच / अनुशासनिक कार्रवाई / अपील प्रकरणों का विवरण अनुशासनिक मामले

क्र० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	वेतन कटौती/पेंशन कटौती/बर्खास्तगी/पदावनति के कुल प्राप्त प्रस्ताव	आयोग की सहमति
1	2	3	4	5
1	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	प्रबंध निदेशक, सहकारी बैंक	1 (पेंशन कटौती का प्रस्ताव)	1
		झारखण्ड प्रशासनिक पदाधिकारी	2 (पेंशन कटौती का प्रस्ताव)	
2	वन एवं पर्यावरण विभाग	वन क्षेत्र पदाधिकारी	1 (सेवा से बर्खास्तगी)	0
3	जल संसाधन विभाग	सहायक अभियंता	1 (सेवा से बर्खास्तगी)	1
कुल			5	2

➤ प्राप्त कुल 5 प्रस्ताव में 2 पर आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

अध्याय-11

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION CIRCULAR ROAD, RANCHI

It has been resolved by Jharkhand Public Service Commission that following informations relating to confidential items which are exempted under section 8 (i) (e) and (g) of the Right to Information Act, 2005 will not be disseminated :-

- 1) Name (s) & other particulars of any paper- Setter, Examiner/ Head Examiner, Moderator of recruitment examinations and preliminary Written Tests in Selection Cases.
- 2) Name (s) and other particulars of Advisor/ Expert/Board Members & Government Representative invited by the Commission to assist the Commission in the Interview Boards/ Personality Tests.
- 3) Information regarding marks secured by the candidates of any Recruitment Examination or any paper of a Recruitment Examination, the Examination process of which has not ended and allotment completed.
- 4) Cut off marks of any individual Recruitment Examination/ Preliminary Examination / Written Examination for short listing of candidates called for interview prior to publication of results.
- 5) Any information regarding name, number of candidates & their particulars of different recruitment examination & selection cases.
- 6) Proceeding relating to Promotion, Selection & Disciplinary cases.
- 7) Name & particulars of the press where sensitive material e.g. Papers, Test Booklets, Answer Sheets, OMRs etc. are printed.
- 8) Access to the Answer Script/ Sheets taking different recruitment Examination/ Preliminary Written Test/ Screening / Departmental Examination after expiry of 60 days from the date of publication of the final result of relevant examination.
- 9) File notings of confidential nature.
- 10) Annual Confidential Report rating in respect of officers and merit rating on assessment of Annual Confidential Reports in promotion cases.

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निस्तारण

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा, वर्ष 2014-15 में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त वादों का निस्तारण निम्न प्रकार है :-

(1) जनसूचना पदाधिकारी कार्यालय :-

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	आवेदनों की संख्या जिस पर ¹ कार्रवाई जारी है	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	2014 (अप्रैल से दिसम्बर)	331	331	00	00
2.	2015 (जनवरी से मार्च)	152	151	01	00
कुल		483	482	01	00

(2) प्रथम अपीलीय पदाधिकारी कार्यालय :-

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक	78	03	75	00

(3) द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी कार्यालय (राज्य सूचना आयोग में) :-

क्र0 सं0	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	आवेदनों की संख्या जिस पर ¹ कार्रवाई जारी है	लंबित आवेदनों की संख्या
1.	01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक	159	90	69	00

अध्याय-12

वित्तीय विवरणियाँ

मांग संख्या -34

**मुख्य शीर्ष-2051 लोक सेवा आयोग, लघु शीर्ष-102 राज्य लोक सेवा आयोग
उप शीर्ष-01 लोक सेवा आयोग (प्रभृत)**

क्र० सं०	इकाई	विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2014-15		सरकार को प्रत्यर्पित राशि
			कुल प्राप्त आवंटन	व्यय की गई राशि	
1	वेतन	34N205100102010101	2,50,80,000.00	2,40,31,546.00	10,48,454.00
2	सविदा भत्ता	34N205100102010108	75,00,000.00	61,76,659.00	13,23,341.00
3	एल०टी०सी०	34N205100102010112	2,40,000.00	-	2,40,000.00
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	34N205100102010185	2,00,000.00	1,66,497.00	33,503.00
5	देशीय यात्रा व्यय	34N205100102010213	4,50,000.00	2,74,512.00	1,75,488.00
6	कार्यालय व्यय	34N205100102010315	23,00,000.00	22,77,533.00	22,467.00
7	मशीनरी एवं उपकरण	34N205100102010317	7,00,000.00	6,89,030.00	10,970.00
8	मुद्रण	34N205100102010319	78,00,000.00	66,49,988.00	11,50,012.00
9	विज्ञापन और प्रचार	34N205100102010328	45,00,000.00	20,58,511.00	24,41,489.00
10	व्यावसायिक सेवाएँ	34N205100102010329	93,00,000.00	68,66,289.00	24,33,711.00
11	दूरभाष	34N205100102010333	2,00,000.00	1,97,227.00	2,773.00
12	वर्दी	34N205100102010334	20,000.00	20,000.00	-
13	आतिथ्य व्यय	34N205100102010338	7,00,000.00	4,87,477.00	2,12,523.00
14	नई मोटरगाड़ी का क्रय	34N205100102010440	22,00,000.00	14,94,581.00	7,05,419.00
15	मोटरगाड़ी इधन एवं मरम्मति	34N205100102010442	7,00,000.00	6,32,356.00	67,644.00
16	विधि प्रभार	34N205100102010760	20,00,000.00	14,20,255.00	5,79,745.00
17	सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	34N205100102010781	2,00,000.00	-	2,00,000.00
18	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	34N205100102010183	1,000.00	-	1,000.00
	कुल योग		6,40,91,000.00	5,34,42,461.00	1,06,48,539.00

अध्याय-13

आयोग से संबंधित न्यायिक मामले

झारखण्ड लोक सेवा आयोग से संबंधित न्यायिक मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

माह अप्रैल 2014 से माह मार्च 2015 तक

न्यायालय	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या	
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची	रीट पिटीशन पार्टी द्वारा एल0पी0ए0 आयोग द्वारा एल0पी0ए0 अवमाननावाद	119 21 01 05	20 09 00 00
	कुल	146	29
माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	एस0एल0पी0 / एस0एल0ए0	02	00
	कुल	02	00
राज्य सूचना आयोग, झारखण्ड	अपील	159	90
	कुल	159	90

अध्याय-14

सेवा शर्तें एवं भर्ती की नियमावली

झारखण्ड लोक सेवा आयोग में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वह सभी शर्तें लागू होती हैं, जो झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राँची द्वारा लागू की गयी हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना ज्ञापांक-6/लो. से. आ.-103/2000 का.-117, दिनांक 16.01.2001 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम-2000 अधिसूचित है। इस अधिसूचना में भारतीय संविधान की धारा 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड माननीय राज्यपाल ने विनियमावली बनायी है जिसमें झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा-शर्तें निर्धारित की गयी हैं तथा आयोग के कर्मचारीवृन्द और उनकी सेवा-शर्तें के बारे में उपबन्ध किया गया है।

परिशिष्ट- ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

माननीय अध्यक्ष

डॉ. धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-730 दिनांक-28.01.2015 के द्वारा डॉ. धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, (भा.व.से.), सेवानिवृत्त को झारखण्ड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अधिसूचित किया गया। इस अधिसूचना के आलोक में डॉ. धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव दिनांक-25.02.2015 से झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

माननीय सदस्यगण

डॉ. कुमार कृत्यानन्द भगत

Dr. K. K. Bhagat did his schooling from St. Xavier's School, Doranda, Ranchi. He completed his Graduate Studies from St. Xavier's College, Ranchi University and moved to New Delhi in 1984 for higher studies where he joined Hindu College, Delhi University, to pursue his knowledge in Sociology. He went on to spend his youthful life to complete his Master's, M. Phil. and Ph. D. programme from Centre for the Study of Social Systems, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. During these eight eventful years of academic career he made himself familiar with learning on disciplines like Industrial Sociology and Urban Sociology. He has completed more than two decades of his teaching and learning experience at XISS. He facilitates papers like Culture and Society, Peasants Studies, Research Methodology, Human Rights, Cooperatives and Corporate Social Responsibility. He has twice travelled abroad, once to enhance his understanding on Social Capital at UFSIA, Antwerp, Belgium and on the second occasion to be part of Global Conference on Corporate Social Responsibility at Lima, Peru, South America. Today he treats CSR as his core discipline where he has been growing and has contributed in form of keynote addresses for corporate houses like Tata, CII, JINDALs including UNICEF and others. Along with he is a member of ICFAI Academic Council for guiding executive for their thesis work. Presently, since 30th of May 2015, he is working as an Honourable Member, Jharkhand Public Service Commission, Ranchi.

डॉ. सतीश्वर प्रसाद सिन्हा

Shri Sinha started his service career, as teacher in St. Michael's School, Digha, Patna and then came to Ranchi University Service as Lecturer (Physics) in Giridih College, Giridih. He was promoted to the rank of Associate Professor and then was selected as Registrar, Vinoba Bhave University, Hazaribagh and Registrar, S. K. M. U., Dumka. He is life Member of National Academy of Science (Allahabad); Indian Science Congress Association (Kolkata); विज्ञानपरिषद् (इलाहाबाद); वैज्ञानिक (BARC, Mumbai); Plasma Science Society of India (Ahmedabad). Presently, since 1st of June 2015 he is working as an Honourable Member, Jharkhand Public Service Commission, Ranchi.

परिशिष्ट- ॥

आयोग सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों की अद्यतन स्थिति (दिनांक-31.12.2015 के अनुसार)

क्र० सं०	पदनाम	कुल स्थीरूप पद	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सं०	कार्यरत पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सचिव (भा०प्र०स०/ शा०प्र०स०)	01	01	00	श्री मनोज कुमार झा, भा०प्र०स०	
2	परीक्षा नियंत्रक (संयुक्त एवं उप सचिव स्तर)	01	01	00	श्री विवेक नारायण अखौरी	
3	उप सचिव (शा०प्र०स०)	02	00	02	—	
4	विधि पदाधिकारी (उप सचिव स्तर)	01	01	00	श्री अशोक कुमार मिश्रा	सेवानिवृत्, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
5	उप परीक्षा नियंत्रक (अवर सचिव स्तर)	02	00	02	—	
6	विशेष कार्य पदाधिकारी	00	01	—	श्री पिन्टू मुखर्जी	सेवानिवृत्, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
7	अवर सचिव	03	03	00	1. प्रेम रंजन, झा०प्र०स० 2. श्री छत्रबली दास, स०स०सं० 3. श्री ओम प्रकाश तिवारी, स०स०सं० 4. श्री रामेश्वर लेयाँगी, स०स०सं० 5. श्रीमती कावेरी घोष	अवर सचिव के रूप में पदस्थापित। आयोग द्वारा उप परीक्षा नियंत्रण के रूप में अधिसूचित। अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदा० तथा आयोग के जन सूचना पदाधिकारी प्रशाखा पदा० कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में उत्क्रमित। प्रशाखा पदा० कोटि के पद को अवर सचिव कोटि में उत्क्रमित। अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल पदाधिकारी का कार्य। सेवानिवृत्, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रही हैं।
8	प्रशाखा पदाधिकारी	10	07	03	1. श्री महेश्वर पासवान 2. श्री दयानन्द कुमार 3. श्री अरविन्द कुमार झा	— — — सेवानिवृत्, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
9	प्रोटोकॉल पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी स्तर)	01	00	01	—	—
10	प्रोग्राम सह डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	00	01	—	—
11	बजट सह लेखा पदाधिकारी	01	01 (संविदा)	00	श्री शशि कांत प्रसाद	सेवानिवृत्, बजट सह लेखा पदाधिकारी के एक रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता मद से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
12	अध्यक्ष के आप्त सचिव (शा०प्र०स०)	01	00	01		

परिशिष्ट-III

आयोग सचिवालय में कार्यरत कर्मियों की अद्यतन स्थिति (दिनांक-31.12.2015 के अनुसार)

क्र० सं०	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सं०	कार्यरत कर्मचारी	अभ्युक्ति
1	सहायक	20	10	10	श्री आशुतोष कुमार राय श्री देवानन्द जी चौधरी श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय श्रीमती नीलम कुमारी श्री मुकेश रजक श्री भूपेन्द्र कुमार अनुराग श्री पंकज कुमार सुश्री राधा रानी हाँसदा श्री मनोज तिर्की श्री प्रकाश चन्द्र महतो	
2	वरीय निजी सहायक	04	00	04	—	
3	निजी सहायक	16	14 (13 नियमित 01 संविदा)	02	श्रीमती अंजु प्रियदर्शिनी श्री मनोरंजन कुमार श्री विष्णु कुमार जायसवाल मो० कैश आजम श्री उत्तम कुमार विश्वास श्री सोनू कुमार सुश्री मीना कुमारी सुश्री रीना कुमारी श्री बसंत कुमार राम श्री ब्रज कुमार राम श्री अनवर अंसारी श्री संजीव कुमार प्रसाद श्री अरुण कुमार श्री शशि भूषण सामंत	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
4	विधि सहायक	02	00	02	—	
5	उच्च वर्गीय लिपिक	05	00	05	—	

6	निम्न वर्गीय लिपिक	07	00	07	-	
7	टंकक	11	01	10	श्री शंकर प्रसाद	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
8	दिनचर्या लिपिक	12	01	11	श्री मुख्तार अंसारी	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
9	चालक	02 नियमित + 04 बाह्य स्रोत से	02 (संविदा) 03 बाह्य स्रोत से	01	1. श्री श्याम मुण्डा 2. श्री मन्नु लाल मण्डल 3. श्री मुन्ना शर्मा 4. श्री मनोज मुण्डा 5. श्री राजकुमार राम मांझी	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं। बाह्य स्रोत से
10	ट्रेजरी सरकार	02	01	01	श्री सुरेश कुमार नायक	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
11	लेखापाल	01	00	01	श्री राम देव दास	सेवानिवृत, लेखापाल के एक रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता मद से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
12	रोकड़पाल	01	01	00	श्री संतोष कुमार भगत	
13	दफतरी सह अभिलेखवाह	02	01	01	श्री सुख विलास उराँव	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
14	आदेशापाल (संविदा पर स्वीकृत)	19	12	07	1. श्री मुन्ना राम 2. श्री राजू एकका 3. श्री मनोज कुमार 4. श्री अजित कुमार प्रजापति 5. श्री विजय कुमार 6. श्री नटवर राय 7. श्री लक्ष्मण विन्द 8. श्री अरविन्द कुशवाहा 9. श्री सलीम मोहम्मद जहाँगीर 10. श्री अमित कुमार 11. श्री महावीर साहु 12. श्रीमती बसन्ती देवी	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।

15	रात्रि प्रहरी (संविदा पर स्वीकृत)	03	02	01	श्री प्रभु महतो	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
					श्री धर्मनाथ सिंह	
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर स्वीकृत)	01	01	00	श्री निरंजन कुमार	निकसी से बाह्य स्त्रोत पर कार्यरत।
17	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर स्वीकृत)	06	02 (बाह्य स्रोत से)	04	श्री सत्यानन्द सिंह	निकसी से बाह्य स्त्रोत पर कार्यरत।
					श्री दीपक कुमार	
					श्री नवनीत कुमार	
18	कम्प्यूटर डाटा इन्फ्री सहायक ग्रेड-1 (संविदा पर स्वीकृत)	34	08 (बाह्य स्रोत से)	26		जैप आईटी० से बाह्य स्रोत से कार्यरत संविदा भत्ता से वेतनादि का भुगतान।

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION, RANCHI

TENTATIVE ANNUAL CALENDAR-2016 FOR EXAMINATIONS/INTERVIEWS

Sl. No.	Name of Examination/ Service	Advt. No.	Date of Commencement of Examination	Duration of Exam
1	Jharkhand Agriculture Service-2015 (Backlog), Interview	04/2015	24 Feb. 2016	1 Day
2	Director Soil Conservation, Interview	12/2015	25 Feb. 2016	1 Day
3	Limited Finance Service Examination	10/2010	28 Feb. 2016	1 Day
4	Jharkhand Judicial Service (Backlog) Examination (Preliminary Test)	11/2015	03 April 2016	1 Day
5	Jharkhand Judicial Service (Direct) Examination (PT)	10/2015	10 April 2016	1 Day
6	6th CCSRE-2015 Examination, (PT)	01/2015	17 April 2016	1 Day
7	Jharkhand Veterinary Service (Backlog)	09/2015	23 May 2016 to 28 May 2016	6 Days
8	Jharkhand Veterinary Service (Direct)	08/2015		
9	Jharkhand Engineering Service-2015 (Backlog) Examination	07/2015	07 June 2016 To 09 June 2016	3 Days
10	Jharkhand Engineering Service-2015 (Direct)	06/2015	27 June 2016 To 29 June 2016	3 Days
11	6th CCSRE-2015 Examination (Mains)	01/2015	25 July 2016 To 01.08.2016	6 Days
12	Deputy Collector Fifth Limited Examination	Jul-2016	11 September 2016	1 Day
13	Deputy Collector Sixth Limited Examination			

**NOTE:- THE DATES OF NOTIFICATION, COMMENCEMENT AND DURATION OF EXAMINATIONS ARE
LIABLE TO ALTERATION, IF THE CIRCUMSTANCES SO WARRANT.**



पतरातू (राँची) घाटी का विहंगम दृश्य